



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022023-243965  
CG-DL-E-28022023-243965

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944

No. 56]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

सं. 59 / 2015-2020

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.42 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/012/एएम-23/पीसी-4-समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.42 के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

(अ) प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.42 के तहत एक नए उप-पैरा (अ) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

**4.42 निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार:**

(अ) निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार और/अथवा पहले ही किए गए निर्यातों के विनियमन को अनुमत करते समय संयोजन शुल्क लगाने के संबंध में सभी पीआरसी निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु, लागू संयोजन शुल्क यहां नीचे यथा निर्धारित होगा:

जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) लाइसेंस का सीआईएफ मूल्य	लगाए जाने वाला संयोजन शुल्क (भारतीय रु. में)
2 करोड़ रुपये तक	25,000
2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ रुपये तक	50,000
10 करोड़ रु. से अधिक	1,00,000

पहले भुगतान किए गए संयोजन शुल्क का कोई भी रिफंड अनुमत नहीं होगा।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.42 को व्यापार करने में सुगमता और कारोबार लागत को कम करने हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) में विस्तार और/अथवा पहले ही किए गए निर्यातों के विनियमन के मामले में संयोजन शुल्क लगाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित पूर्व के निर्णयों सहित सभी पीआरसी निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु एकसमान और पारदर्शी प्रणाली को एकीकृत करने के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 28th February, 2023

**No. 59 /2015-2020**

**Subject: Amendments in Para 4.42 of the Handbook of Procedures 2015-2020.**

**F. No. 01/94/180/012/AM23/PC-4.**— In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the provisions of Para 4.42 of the Handbook of Procedures 2015-2020:

(i) Under Para 4.42 of HBP 2015-2020, a new sub-para (j) is added, as mentioned below:

**4.42 Export Obligation (EO) Period and its Extension:**

(j) For implementation of all PRC decisions involving levy of Composition Fee while allowing extension in EOP and/or regularisation of exports already made, the applicable Composition Fee shall be as prescribed hereunder:

<b>CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORIZATION (AA) LICENSES ISSUED</b>	<b>COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (IN ₹)</b>
Up to ₹2 Crores	25,000
More than ₹2 Crores to ₹10 Crores	50,000
Above ₹10 Crores	1,00,000

No refund of earlier paid Composition Fee shall be admissible.

**Effect of this Public Notice:** Para 4.42 of the Handbook of Procedures 2015-2020 has been amended to integrate a uniform and transparent system for implementation of all PRC decisions including previous decisions involving process of levying Composition Fee in case of extension of Export Obligation Period (EOP) and/or regularisation of exports already made under Advance Authorization Scheme, for ease of doing business and reduction of transaction cost.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.